

फारम सं०-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

2

3

आभिलेख उपस्थापित।

(1.) श्री अशोक राम पिता स्व० रामेश्वर राम एवं
(2.) डब्लु कुमार पिता स्व० लाटो राम, ग्राम-बीरबीर,
थाना-मुपफसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, मौजा-बीरबीर,
थाना संख्या-275, खाता संख्या-18, प्लॉट संख्या-270,
रकबा-0.04 एकड़ भूमि किरण देवी पति राजेन्द्र कुमार,
ग्राम-ओरिया हरिजन मुहल्ला, ओरिया, थाना-कोर्रा,
जिला-हजारीबाग के साथ छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम,
1908 की धारा-46 के अन्तर्गत बिक्री अनुमति प्राप्त करने के
निमित्त आवेदन-पत्र समर्पित किया गया। जिसके आलोक में
परमिशन वाद संख्या 160/2023 प्रारम्भ किया गया।

इसी क्रम में आवेदक अशोक राम एवं डब्लु कुमार
द्वारा आवेदन-पत्र समर्पित कर सूचित किया गया है कि आवेदन
में भूलवश मौजा-बेलामुंडवार के स्थान पर मौजा-बीरबीर अंकित
हो गया है। वाद संख्या 160/2023 को निष्पादित करने का
अनुरोध किया गया है।

अतः आवेदक के अनुरोध के आलोक में परमिशन
वाद संख्या 160/2023 को निष्पादित किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

गई
गरे
सहित